

प्रेषक,

कल्लू प्रसाद द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
बरेली इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, बरेली।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग

लखनऊ: दिनांक 08 नवम्बर, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय सेवा योजना-नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, बरेली इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, बरेली के पत्रांक संख्या-BIU/REG/391/925 दिनांक 01-04-2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति के परीक्षणोपरान्त संस्तुति सहित प्राप्त प्रस्तावों पर शासन स्तर पर गठित 05 सदस्यीय समिति की संस्तुति सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नानुसार छात्र संख्या आवंटित की जाती है:-

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में रा०से०यो० सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 में रा०से०यो० सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	बरेली इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, बरेली	300	400
	योग-	300	400

2- उपरोक्त तालिका के कालम-4 में उल्लिखित सामान्य कार्यक्रम की छात्र संख्या का 50 प्रतिशत विशेष शिविर आयोजन हेतु आवंटित छात्र संख्या मानी जायेगी। उपरोक्त आवंटन में नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संबंधित संस्थाओं को इकाई आवंटन की सूचना प्रेषित करते हुए पंजीकरण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा छात्र संख्या आवंटन के पश्चात पंजीकरण शुल्क शासन को दिनांक 07.12.2024 तक अवश्य प्रेषित कर दें।

4- विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।

5- भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई-मेल के माध्यम से एन०एस०एस० प्रकोष्ठ उ०प्र० शासन व क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।

Bred

Arrival for

19

6- इकाइयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ (7×2)=14 पृष्ठ, प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ ×7) संलग्न होनी चाहिए एवं वर्ष भर किये गये नियमित कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट (कम से कम 08 पृष्ठ की फोटो सहित)। रिपोर्ट की हार्ड कापी कार्यक्रम समन्वयक को व साफ्ट कापी शासन व कार्यक्रम समन्वयक दोनों को प्रेषित करें।

7- वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवंटित छात्र संख्या के सापेक्ष धनराशि का भुगतान सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट बैंक खाता के **ZBSA Current Account, Product Code- 5111-2171** के माध्यम से ही किया जायेगा। अतः उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों का सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट (सी0एन0ए0) प्रणाली सब्सिडरी खाता (चालू

खाता) शून्य धनराशि से भारतीय स्टेट बैंक में 01 सप्ताह के भीतर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है। नहीं तो शासन स्तर से आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है।

8- वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी इकाइयों को यह निर्देशित किया जाता है कि नियमित एवं विशेष शिविर का आयोजन तथा जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत ऑन-लाइन पंजीकरण एवं प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या-आवं0 51(1)/सत्तर-रा0से0यो0को0-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0 1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच0, अलीगंज, लखनऊ।
5. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित वि0वि0, उ0प्र0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डॉ0 मंजू सिंह) 08/11/2024
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।